

झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

रिट आवेदन (टी) संख्या 3229/ 2020

के साथ

रिट आवेदन (टी) संख्या 3246/ 2020

झारखंड राज्य, द्वारा उप आयुक्त- वाणिज्य कर (वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर, राज्य कर के रूप में ज्ञात), पश्चिम सर्कल, राँची यथा श्री गौरी शंकर कपरदार, उम्र लगभग 58 वर्ष, पुत्र स्व. पूर्ण चंद्र कपरदार, निवासी- मुहर्मटोली, बूटी मोड़, कार्यालय सिविल कोर्ट परिसर के पास, कचहरी, राँची, डाकघर- जीपीओ, थाना- कोतवाली, जिला राँची.

... याचिकाकर्ता (दोनों रिट याचिकाओं में)

बनाम

मेसर्स राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी, प्रधान कार्यालय 702, 7वीं मंजिल, पंचवटी प्लाजा, कचहरी रोड, राँची, डाकखाना - जीपीओ, थाना- कोतवाली, जिला राँची.

...प्रतिवादी (दोनों रिट याचिकाओं में)

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगोन मुखोपाध्याय

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री मृणाल कांति रॉय, सरकारी अधिवक्ता-III.

प्रतिवादी की ओर से : श्री सुमीत गाडोदिया, अधिवक्ता,

श्रीमती शिल्पी सांडिल गाडोदिया, अधिवक्ता,

श्री रणजीत कुशवाह, अधिवक्ता

सी. ए. वी. दिनांक 04.12.2023

15.01.2024 को प्रतिपादित

निर्णय

न्यायमूर्ति दीपक रोशन द्वारा:

1. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।
2. दोनों रिट याचिकाओं में तथ्य और कानून के समान प्रश्न शामिल हैं और उन्हें एक साथ सुनवाई के लिए एक साथ जोड़ा गया है।
3. रिट आवेदन (टी) संख्या 3229/2020 कर निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबंधित है और रिट आवेदन (टी) संख्या 3246/2020 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 से संबंधित है। याचिकाकर्ता-झारखंड राज्य द्वारा वर्तमान रिट आवेदन दायर किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण द्वारा पुनरीक्षण केस संख्या आर.एन. संख्या 31/2019 और पुनरीक्षण केस संख्या आर.एन. 30/2019 में पारित आदेश, दिनांक 28.02.2020, को चुनौती दी गई है; जिसमें विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी संख्या 1- मेसर्स राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदनों को अनुमति दी है और जिसके परिणामस्वरूप, सीसी (एस) केस संख्या 301 (ए)/ 2019 और सीसी (एस) केस संख्या 301/ 2019 में अतिरिक्त

वाणिज्यिक कर आयुक्त, झारखंड, रांची द्वारा पारित दोनों आदेशों, दिनांक 25.04.2019, को अपास्त और रद्द कर दिया गया है।

4. दोनों रिट आवेदनों में वर्णित दोनों मामलों के संक्षिप्त तथ्य एक दूसरे के समान हैं और विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान रिट आवेदन (टी) संख्या 3246/2020 के तथ्यों का उल्लेख किया; इस प्रकार, उक्त मामले को मुख्य मामला माना जाता है और इसके तथ्यों को संक्षेप में अधोलिखित नोट किया जा रहा है।
5. प्रतिवादी संख्या 1- मेसर्स राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मुख्य रूप से झारखंड राज्य और अन्य राज्यों में कार्य-अनुबंध करने के व्यवसाय में लगा हुआ है और झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे आगे ' जेवीएटी अधिनियम, 2005 ' कहा जाएगा) के प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत है।
6. कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए, कर निर्धारण अधिकारी अर्थात् उप-वाणिज्यिक कर आयुक्त, पश्चिमी अंचल, रांची द्वारा दिनांक 04.01.2017 को कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था और कर-निर्धारण आदेश के अनुसरण में, दिनांक 04.01.2017 को अतिरिक्त-मांग-नोटिस जारी की गई थी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में 1,41,73,237/- रुपये की प्रतिदाय-योग्य धनराशि निर्धारित की गई थी।
7. इसी प्रकार, कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए, दिनांक 10.01.2017 को उप-आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पश्चिमी अंचल, रांची द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था और उक्त वर्ष में भी, दिनांक 16.01.2017 को, प्रतिवादी संख्या- 1 को, 6,71,54,829/- रुपये के अतिरिक्त कर का भुगतान दर्शाते हुए, एक अतिरिक्त-मांग-नोटिस जारी की गई थी।
8. इस स्वीकृत तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः 1,41,73,237/- और 6,71,54,829/- रु. की धनराशि के लिए अतिरिक्त कर का भुगतान निर्धारित किया गया था, प्रतिवादी संख्या-1 ने दोनों

वर्षों के संबंध में, 27.05.2017 को, संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त (प्रशासन), रांची डिवीजन, रांची (इसके बाद 'जेसीसीटी (प्रशासन) के रूप में संदर्भित) के समक्ष जेवीएटी नियम, 2006 के नियम 19 सपठित जेवीएटी अधिनियम, 2005 की धारा 52 के अंतर्गत प्रतिदाय (रिफण्ड) के लिए वैधानिक आवेदन दायर किया।

9. धारा 52, सपठित धारा 53 के अनुसार, प्रतिदाय के लिए ऐसे आवेदन का संबंधित विभाग द्वारा छह महीने की अवधि के भीतर प्रक्रमण किया जाना आवश्यक है और प्रतिदाय के लिए आवेदन के प्रक्रमण में किसी भी विलंब पर प्रतिदाय के लिए आवेदन के प्रक्रमण में छह महीने की देरी की अवधि से परे 6% प्रति वर्ष की दर से देय वैधानिक ब्याज उद्धृत होगा।
10. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर रिफण्ड-आवेदन के अनुसरण में, वाणिज्यिक कर उपायुक्त, पश्चिमी अंचल, रांची (संक्षेप में 'डीसीसीटी') ने प्रतिदाय के लिए उक्त आवेदन को सत्यापित किया और अपने पत्र संख्या 1044, दिनांक 07.12.2018, के माध्यम से प्रतिदाय के दोनों आवेदनों को जेसीसीटी (प्रशासन) को विचारार्थ अग्रेषित किया, साथ ही टिप्पणी की कि प्रतिदाय प्रदान किया जाना चाहिए।
11. परन्तु, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किए गए पत्राचार के अनुसार, जेसीसीटी (प्रशासन) ने प्रतिवादी संख्या-1 को प्रतिदाय देने की बजाय, कर निर्धारण प्राधिकारी को अपने पत्र संख्या 944, दिनांक 12.12.2018, के माध्यम से मूल कर निर्धारण आदेशों यथा कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए दिनांक 04.01.2017 का आदेश और कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए दिनांक 10.01.2017 का आदेश, के विरुद्ध पुनर्विलोकन कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। उक्त पुनर्विलोकन कार्यवाही को वाणिज्यिक कर आयुक्त, झारखंड, रांची से उचित मंजूरी प्राप्त करने के बाद, जेवीएटी अधिनियम, 2005 की धारा 81 सपठित जेवीएटी नियम, 2006 के नियम 54(3) के अंतर्गत शुरू करने का निर्देश दिया गया था, जैसा कि जेवीएटी नियमों के नियम

54 के तहत अनिवार्य था। तदनुसार, डीसीसीटी, पश्चिम सर्किल, रांची ने पुनर्विलोकन कार्यवाही शुरू करने के लिए वाणिज्यिक कर आयुक्त, झारखंड, रांची के समक्ष मंजूरी के लिए आवेदन किया, जिसपर वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा, मेमो संख्या 66 में अंतर्विष्ट अपने सामान्य आदेश, दिनांक 07.01.2019, के अनुसार विधिवत सहमति प्रदान की गई, जिसमें डी.सी.सी.टी. अर्थात् मूल अधिनिर्णायक प्राधिकरण को मूल कर-निर्धारण आदेशों का पुनर्विलोकन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई।

12. वाणिज्यिक कर आयुक्त से उचित मंजूरी प्राप्त करने के बाद, डी.सी.सी.टी. पश्चिमी अंचल, रांची ने पुनर्विलोकन कार्यवाही शुरू की और प्रतिवादी संख्या 1 को नोटिस जारी किया, जिसमें उन आधारों को संलग्न किया गया, जिन पर दोनों वित्तीय वर्षों के मूल कर-निर्धारण आदेशों के पुनर्विलोकन के लिए पुनर्विलोकन कार्यवाही शुरू की गई थी।
13. प्रतिवादी-करदाता डी.सी.सी.टी., पश्चिमी सर्किल, रांची अर्थात् अधिनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ और पुनर्विलोकन कार्यवाही की शुरुआत पर प्रश्न उठाते हुए अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया।
14. अधिनिर्णायक प्राधिकरण, प्रतिवादी द्वारा दायर उत्तर के अनुसरण में, जिन वाद्विषयों पर पुनर्विलोकन कार्यवाही शुरू की गई थी उनको अंतर्निहित करते हुए अभिलेखों के सत्यापन के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार के सीमित दायरे को देखते हुए, दिनांक 04.01.2017 और 10.01.2017 के मूल कर-निर्धारण आदेशों का पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है और तदनुसार, दिनांक 13.03.2019 के आदेश के तहत पुनर्विलोकन कार्यवाही समाप्त कर दी गई।
15. पुनर्विलोकन कार्यवाही छोड़ने के बावजूद, डी.सी.सी.टी. पश्चिम सर्किल, रांची ने कर निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमशः दिनांक 04.01.2017 और 10.01.2017 के मूल कर निर्धारण आदेशों में पुनरीक्षण के लिए वाणिज्यिक कर के

अपर आयुक्त के समक्ष जेवीएटी अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत दिनांक 18.03.2019/19.03.2019 को एक पत्र/आवेदन प्रस्तुत किया।

16. उक्त पत्र/आवेदन अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पुनरीक्षण आवेदन माना गया और एक एकल पुनरीक्षण आवेदन, यथा पुनरीक्षण मामला संख्या सीसी (एस) 301/2019, अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पंजीकृत किया गया और तदनुसार, 19.03.2019 को ही, पुनरीक्षण याचिका में प्रतिवादी-करदाता को, यह सूचित जारते हुए कि सुनवाई की तारीख 25.03.2019 है, नोटिस जारी किए गए।
17. दिनांक 25.03.2019 को, प्रतिवादी संख्या 1- करदाता दो कर-निर्धारण-वर्षों यथा 2013-14 और 2014-15 से संबंधित उपरोक्त सीसी(एस) केस संख्या 301of 2019 में अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर के न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और आवेदन दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी कहा गया कि प्रतिवादी-करदाता को डी.सी.सी.टी. द्वारा दायर पुनरीक्षण-आवेदन की प्रति प्राप्त नहीं हुई है और तदनुसार, प्रतिवादी-करदाता को उक्त पुनरीक्षण आवेदन में अपना विस्तृत उत्तर दाखिल करने हेतु पुनरीक्षण आवेदन की प्रति की आपूर्ति के लिए प्रार्थना की। उक्त तिथि को अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर के समक्ष एक अंतरिम आवेदन भी दायर किया गया था, जिसमें डी.सी.सी.टी., पश्चिमी अंचल, रांची द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन की पोषणीयता वाद-विषय उठाया गया था। आपत्तियां निम्नलिखित आधारों पर उठाई गई थी: -

(i) डी.सी.सी.टी. द्वारा एकल पुनरीक्षण आवेदन दायर करके दो अलग-अलग कर-निर्धारण आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती।

(ii) पुनरीक्षण आवेदन 'फोरम शॉपिंग' के माध्यम से दायर किया गया है, विशेषकर तब जब उसी विषय-वस्तु के संबंध में प्रतिवादी-करदाता के विरुद्ध पुनर्विलोकन कार्यवाही शुरू की गई थी और पुनर्विलोकन कार्यवाही में आदेश

की सूचना दिए बिना ही स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी गई है।

(iii) जे.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 80(4) के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करने के लिए वाणिज्यिक कर के अतिरिक्त आयुक्त के क्षेत्राधिकार को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि, इससे पहले वाणिज्यिक कर आयुक्त ने उन्हीं आधारों पर पुनर्विलोकन कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दी थी और इस प्रकार, उनके प्रतिनिधि यानी वाणिज्यिक कर के अतिरिक्त आयुक्त उन्हीं आधारों पर स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं, जो कि 'नेमो जूडेक्स कॉसा सुआ' यानी 'कोई भी व्यक्ति अपने मामले का न्यायाधीश नहीं होगा' के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है।

(iv) अन्तरवर्ती आवेदन में यह भी तर्क दिया गया कि यदि वाणिज्यिक कर आयुक्त और/या उसके प्रतिनिधि अर्थात् अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई करते हैं, तो यह विधिक पक्षपात होगा, क्योंकि उक्त प्राधिकारी ने स्वयं ही पूर्व में उन्हीं आधारों पर अधिनिर्णायक प्राधिकरण को पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की थी, जिन आधारों पर स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण आवेदन में आदेश को संशोधित करने की मांग की गई है।

18.25.03.2019 को अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, ने पुनरीक्षण आवेदन की पोषणीयता के संबंध में उठाए गई विशिष्ट आपत्तियों के बावजूद, केवल मौखिक रूप से डी.सी.सी.टी., पश्चिम सर्कल, रांची को प्रतिवादी संख्या-1 को पुनर्विलोकन कार्यवाही में पारित आदेश से अवगत कराने और दस्तावेजों और / या पुनरीक्षण के लिए आवेदन की प्रतिलिपि, जो पत्र के रूप में प्रस्तुत की गई थी, प्रतिवादी संख्या 1 को प्रदान करने का निर्देश दिया और 01.04.2019 को सुनवाई की अगली तारीख नियत की।

19. दिनांक 01.04.2019 को प्रतिवादी-करदाता ने स्वप्रेरणा-पुनरीक्षण-आवेदन पर अपना विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया और मामले में विस्तृत बहस के लिए समय मांगा, लेकिन उक्त तिथि को ही अतिरिक्त आयुक्त द्वारा निर्णय सुरक्षित रख लिया गया।
20. इसके बाद, 25.04.2019 को, अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने डी.सी.सी.टी., पश्चिम सर्कल, रांची द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका के संबंध में आदेश पारित किया और, हालांकि कर निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए केवल एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया था, अतिरिक्त आयुक्त ने अपने आदेश में, 2013-14 की अवधि से संबंधित पुनरीक्षण आवेदन को पुनरीक्षण केस संख्या सीसी (एस) 301/2019 के रूप में क्रमांकित किया; और कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कथित पुनरीक्षण याचिका को पुनरीक्षण केस संख्या सीसी (एस) 301/2019 के रूप में क्रमांकित किया गया।
21. अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने अपने आदेश में अभिलिखित किया कि उन्होंने कर-निर्धारण अभिलेखों का अवलोकन किया है और कर-निर्धारण अभिलेखों के अवलोकन से वह इस अभिमत के हैं कि कर निर्धारण आदेश राजस्व के हितों के प्रतिकूल हैं; और, उपर्युक्त आधार को दर्ज करके, अतिरिक्त आयुक्त ने यह अवधारित किया कि कर-निर्धारण कार्यवाही के लिए अधिनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा आगे विस्तृत विचारणा की आवश्यकता है और तदनुसार, मूल कर-निर्धारण आदेशों को रद्द कर दिया और मामले को डी.सी.सी.टी, पश्चिम सर्किल, रांची के पास पुनः विचार करने और नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए वापस भेज दिया।
22. प्रतिवादी संख्या 1-करदाता ने अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, रांची, झारखंड के समक्ष वैधानिक पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया जिसे पुनरीक्षण केस संख्या आर. एन 30/2019 (कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए) और पुनरीक्षण केस संख्या

आर.एन 31/2019 (कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए) के रूप में पंजीकृत किया गया।

23. विद्वान न्यायाधिकरण, झारखंड ने उपरोक्त पुनरीक्षण याचिकाओं में पारित अपने दिनांक 28.02.2020 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदनों को मंजूर कर लिया है; और इसके परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण केस संख्या सीसी (एस) 301/2019 और सीसी (एस) 301(ए)/2019 में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश, दिनांक 25.04.2019, को रद्द कर दिया गया तथा कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमशः दिनांक 04.01.2017 और 10.01.2017 के मूल कर-निर्धारण आदेशों को प्रत्यावर्तित कर दिया गया।
24. वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, झारखंड द्वारा पारित आदेशों से व्यथित होकर, झारखंड राज्य ने, वाणिज्यिक कर उपायुक्त, पश्चिमी अंचल, रांची के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट आवेदन रिट आवेदन (टी) संख्या 3229/2020 और रिट आवेदन (टी) संख्या 3246/2020 प्रस्तुत किया।
25. श्री मृणाल कांति राँय, विद्वान राजकीय अधिवक्ता-III ने झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित होकर, वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, झारखंड द्वारा पारित आदेशों पर, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क देते हुए आक्षेपित किया है कि, वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश मस्तिष्क का उपयोग किए बिना तथा और जे.वी.ए.टी. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वैधानिक प्रावधानों पर विचार किए बिना पारित किए गए हैं ।
26. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता-डीसीसीटी, पश्चिम सर्किल, रांची ने शुरू में मूल कर-निर्धारण आदेशों के विरुद्ध जेवीएटी अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू की, लेकिन 13.03.2019 के आदेश के अनुसार, यथोचित रूप से उक्त पुनर्विलोकन कार्यवाही को रोक दिया, क्योंकि पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार

का दायरा केवल लिपिकीय सुधार या मामले के अभिलेखों पर प्रकट त्रुटि तक ही सीमित था, जबकि, कर निर्धारण आदेश पारित करने के लिए उपयोग किए गए अभिलेखों पर उपलब्ध दस्तावेजों में विभिन्न मुद्दों पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी, और, यही कारण है कि डी.सी.सी.टी ने अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, झारखण्ड के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया।

यह तर्क दिया गया है कि जे.सी.सी.टी (प्रशासन), रांची डिवीजन, रांची डी.सी.सी.टी पश्चिम सर्किल ने वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते, अपने पत्र संख्या 944 दिनांक 12.12.2018 के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 के रिफंड आवेदनों पर विचार करते समय, मूल कर निर्धारण आदेशों की शुचिता और औचित्यता के संबंध में कुछ टिप्पणियां कीं और मूल कर निर्धारण आदेशों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जिसके कारण डी.सी.सी.टी द्वारा पुनर्विलोकन कार्यवाही शुरू की गई, परन्तु चूंकि डी.सी.सी.टी द्वारा समीक्षा कार्यवाही का दायरा सीमित था, समीक्षा कार्यवाही को रोकने के बाद अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, झारखंड के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया और इसमें कोई अवैधानिकता नहीं थी।

27. इसके अतिरिक्त जे.वी.ए.टी अधिनियम, 2005 की धारा 2(i x) का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया है कि जे.वी.ए.टी अधिनियम के तहत परिभाषित 'आयुक्त' शब्द का अर्थ वाणिज्यिक कर आयुक्त या वाणिज्यिक कर अतिरिक्त आयुक्त है और तदनुसार, जे.वी.ए.टी अधिनियम की धारा 80(4) के अनुसार, डी.सी.सी.टी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर के समक्ष दायर पुनरीक्षण आवेदन पोषणीय था और उक्त प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया जा सकता था, जिस पर सही ढंग से विचार किया गया है और तदनुसार, कानून के अनुसार नए सिरे से कर-निर्धारण आदेश पारित करने के लिए आदेश, दिनांक 25.04.2019, के माध्यम से आदेश पारित किया गया।

28. यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने वाणिज्यिक कर के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश को रद्द करने में गंभीर त्रुटि की है, क्योंकि उक्त आदेश केवल एक रिमांड आदेश था जो मामलों को पुनर्मूल्यांकन के लिए अधिनिर्णायक प्राधिकरण को वापस भेज रहा था। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि यदि, तर्क के लिए, यह मान लिया जाए कि वाणिज्यिक कर के अतिरिक्त आयुक्त के पास पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करने का अधिकार और शक्ति नहीं है, तो भी न्यायाधिकरण को राज्य के राजस्व के हित में मामले को वाणिज्यिक कर आयुक्त के समक्ष वापस भेज देना चाहिए था, लेकिन न्यायाधिकरण ने मामलों को वापस नहीं भेजा है और मूल कर-निर्धारण आदेशों पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है, जो स्पष्ट रूप से राजस्व के हित के लिए हानिकारक है।

29. इसके विपरीत, अधिवक्ता श्री सुमीत गाड़ोदिया ने, जो अधिवक्ता रंजीत कुशवाहा द्वारा सहकारित हैं, झारखंड राज्य द्वारा दायर रिट आवेदनों का विरोध किया है और वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क दिया है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश तर्कपूर्ण और आख्यापूर्ण आदेश हैं जो मामले के प्रासंगिक अभिलेखों और जे.वी.ए.टी. अधिनियम और नियमों के अंतर्निहित वैधानिक प्रावधानों के समुचित परीक्षण के उपरांत पारित किए गए हैं; और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के प्रयोग में इस माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं हैं।

30. यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यह न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील में नहीं बैठेगा और केवल तभी, जब आदेश के अध्ययन मात्र पर यह पाया जाता है कि वह प्रतिकूल है या कानून के अनुसार नहीं है, यह माननीय न्यायालय उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। केवल इसलिए कि

दो दृष्टिकोण संभव हैं और वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण ने एक दृष्टिकोण अपनाया है, वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं है।

31. यह तर्क भी दिया गया है कि याचिकाकर्ता-डी.सी.सी.टी, वेस्ट सर्किल, रांची ने स्वयं को 'फोरम शॉपिंग' में आलिप्त कर लिया है, क्योंकि इससे पहले, जे.सी.सी.टी (प्रशासन) के पत्र संख्या 944, दिनांक 12.12.2018 के अनुसार, डी.सी.सी.टी ने जेवीएटी अधिनियम, 2005 की धारा 81 सपठित जेवीएटी नियम, 2006 के नियम 54(3) के अंतर्गत पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू की थी। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जेवीएटी नियमों के नियम 54 के अनुसार, डीसीसीटी को अपने आदेश और/या अपने पूर्ववर्ती आदेश की समीक्षा करने के लिए, आदेश पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद, वाणिज्यिक कर आयुक्त से अनुमोदन/स्वीकृति लेनी होगी और तदनुसार, डीसीसीटी ने उन्हीं आधारों पर पुनर्विलोकन की मंजूरी के लिए आवेदन किया, जिन पर बाद में, वाणिज्यिक कर आयुक्त के समक्ष इसके द्वारा पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया था। वाणिज्यिक कर आयुक्त ने ज्ञापन संख्या 66, दिनांक 07.01.2019, में अंतर्निहित अपने आदेश के अनुसार उन्हीं आधारों पर कर-निर्धारण आदेशों के पुनर्विलोकन की अनुमति दी, जिन पर पुनर्विलोकन-आवेदन दायर किया गया था। परन्तु डी.सी.सी.टी ने स्वयं ही, 13.03.2019 के आदेश के माध्यम से, समीक्षा कार्यवाही को समाप्त कर दिया और उन्हीं आधारों पर वाणिज्यिक कर के अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष मूल कर-निर्धारण आदेशों में स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की मांग करते हुए पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जो स्वीकार्य नहीं था और उक्त प्राधिकरण द्वारा 'फोरम शॉपिंग' की श्रेणी में आएगा।

32. यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर आयुक्त का एक प्रतिनिधि होने के नाते, स्वप्रेरणा-पुनरीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर

सकता था, विशेषकर तब जब वाणिज्यिक कर आयुक्त ने उन्हीं आधारों पर डी.सी.सी.टी, पश्चिमी सर्कल, रांची को पुनरीक्षण कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति दी थी और डी.सी.सी.टी ने उन्हीं आधारों पर यह माना था कि पुनरीक्षण कार्यवाही स्वीकार्य नहीं है।

यह पुरजोर तर्क दिया गया है कि उसी प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण आवेदन की सुनवाई, जिसने पहले समीक्षा कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दी थी, 'नेमो जूडेक्स कॉसा सुआ' के सिद्धांतों अर्थात्, 'कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले के लिए न्यायाधीश नहीं हो सकता है' द्वारा वर्जित होगी। इस संबंध में 'मेसर्स राम मिनरल कंपनी बनाम भारत संघ और अन्य' के मामले में इस माननीय न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की गई है, जो 2014 एससीसी ऑनलाइन झार 2816 में रिपोर्ट किया गया है।

33. यह भी पुरजोर तर्क दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता- डी.सी.सी.टी ने अत्यंत ही लापरवाही से, एक पत्र के रूप में, अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर के समक्ष स्वप्रेरणा-पुनरीक्षण याचिका दायर की। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त पत्र के साथ, न तो कर-निर्धारण आदेश और न ही कर-निर्धारण रिकॉर्ड संलग्न किए गए थे और यहां तक कि कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 से संबंधित दो अलग-अलग कर-निर्धारण आदेशों को चुनौती देने वाली एक एकल पुनरीक्षण याचिका भी दायर की गई थी। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि न केवल पुनरीक्षण आवेदन को लापरवाही से दायर किया गया था, बल्कि उक्त पुनरीक्षण आवेदन को अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अनुचित जल्दबाजी में और कानून में ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना निस्तारित कर दिया गया था।

34. यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, ने अपने आदेश, दिनांक 25.04.2019, जिसमें उन्होंने मूल कर-निर्धारण आदेशों को रद्द कर

दिया है, में दर्ज किया है कि उन्होंने कर-निर्धारण कार्यवाही के अभिलेखों का अवलोकन किया है और, संतुष्ट होने पर, इस अभिमत के हैं कि कर-निर्धारण आदेश राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल हैं।

विशेष रूप से यह तर्क दिया गया है कि अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पास कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, और डी.सी.सी.टी, पश्चिमी सर्कल द्वारा मांगे गए और/या प्रस्तुत किए गए किसी भी रिकॉर्ड के बिना, आदेश में यह गलत तरीके से दर्ज किया गया है कि रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया है। वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण द्वारा आक्षेपित निर्णय के पैरा 26, 27, 28 और 31 में दर्ज तथ्यों के निष्कर्ष का संदर्भ दिया गया है, जिसमें वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण ने विशेष रूप से अंकित किया है कि अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, झारखंड ने अपने आदेश में यह उल्लेख करके गंभीर त्रुटि की है कि उन्होंने कर निर्धारण आदेशों सहित पुनर्विलोकन कार्यवाही के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है, जो उसके समक्ष रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थे।

35. यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि न केवल अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने जेवीएटी अधिनियम की धारा 80(4) के अंतर्गत निहित वैधानिक प्रावधानों की सम्पूर्ण अवहेलना करते हुए दिनांक 25.04.2019 का आदेश पारित किया है, बल्कि उक्त आदेश भी प्रतिवादी-करदाता को सुनवाई का कोई प्रभावी अवसर दिए बिना जल्दबाजी में पारित किया गया है। निम्नलिखित तिथियों का हवाला देते हुए, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि संपूर्ण पुनरीक्षण आवेदन को अतिरिक्त आयुक्त द्वारा 14 दिनों की अवधि के भीतर ही निस्तारित कर दिया गया था और तिथियों से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि अतिरिक्त आयुक्त, जो 30 अप्रैल, 2019 को सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले थे, ने जल्दबाजी में, पक्षपात से प्रेरित होकर, प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का कोई प्रभावी अवसर दिए बिना दिनांक 25.04.2019 का आदेश पारित

किया है। श्री गाडोदिया ने कुछ महत्वपूर्ण तिथियों का संदर्भ दिया जो इस प्रकार हैं:-

18.03.2019: डीसीसीटी, पश्चिमी सर्किल, रांची द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए एकल पुनरीक्षण आवेदन, सी.सी.(एस) 301/2019, दायर किया गया।

19.03.2019: एकल नोटिस संख्या 1126, दिनांक 19.03.2019, को ए.सी.सी.टी द्वारा जारी किया गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को पुनरीक्षण आवेदन की प्रति प्रस्तुत किए बिना ही पुनरीक्षण आवेदन की सुनवाई की तारीख 25.03.2019 तय की गई।

25.03.2019: प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित हुआ और उसने आवेदन दायर कर पुनरीक्षण आवेदन की प्रति तथा उन दस्तावेजों की मांग की जिनके आधार पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा अपना जवाब दाखिल करने के लिए 30 दिनों का समय मांगा।

25.03.2019: प्रतिवादी संख्या- 1 ने पुनरीक्षण आवेदन की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए अंतरिम आवेदन दायर किया।

पुनरीक्षण आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए 30 दिन का समय मांगे जाने के बावजूद केवल 6 दिन का समय दिया गया तथा अगली तिथि 01.04.2019 नियत की गई।

01.04.2019: 01.04.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया तथा मामले में विस्तृत बहस के लिए समय मांगा। हालाँकि, उक्त तिथि को ही बहस समाप्त हो गई तथा निर्णय सुरक्षित रख लिया गया।

36.ओम मेटल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य , (2017) एससीसी ऑनलाइन झारखंड 2680 में रिपोर्ट किए गए मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता

व्यक्त करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश एक अकारण आदेश था और मस्तिष्क का उपयोग किए बिना पारित किया गया था और इसे वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण द्वारा यथोचित रूप से अपास्त किया गया है।

37. यह तर्क भी दिया गया है कि याचिकाकर्ता- डी.सी.सी.टी द्वारा शुरू की गई पुनर्विलोकन कार्यवाही और/या पुनरीक्षण कार्यवाही, जो केवल उच्च अधिकारी-जेसीसीटी (प्रशासन) के निर्देश पर प्रारंभ की गई थी, जब प्रतिवादी संख्या- 1 के रिफंड आवेदनों पर विचार किया जा रहा था; और, बाहरी निर्देश पर उक्त कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना स्वयं में ही शून्य था और कानून की दृष्टि में पोषणीय नहीं था। रूंगटा माइंस लिमिटेड बनाम झारखण्ड राज्य 2023 एससीसी ऑनलाइन झार 1188: (2023) 118 जीएसटीआर 87 में रिपोर्ट किया हुआ, के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पैरा 44 का संदर्भ देते हुए यह तर्क दिया गया है कि कर-निर्धारण आदेश प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में एक मान्य वैधानिक अधिकार का सृजन करता है, विशेषकर तब जब कर-निर्धारण आदेशों के अनुगमन में प्रतिवादी संख्या 1 को रिफंड प्रदान करने वाले अतिरिक्त डिमांड नोटिस द्वारा जारी किए गए थे और पुनरीक्षण कार्यवाही का प्रारंभ कानून के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए, और, यह वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण द्वारा यथोचित रूप से अवधारित किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता- डी.सी.सी.टी, पश्चिम सर्कल, रांची द्वारा वाणिज्यिक करों के अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण कार्यवाही की प्रारंभ से ही पोषणीय नहीं थी और तदनुसार, वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

38. हमने प्रतिद्वन्द्वी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा मूल कर-निर्धारण आदेश, रिट याचिकाकर्ता- डी.सी.सी.टी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका, अपर आयुक्त

द्वारा पारित आदेश तथा वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, झारखंड, रांची द्वारा पारित आदेशों का विस्तारपूर्वक परीक्षण किया है।

39.वर्तमान मामले के तथ्यों से यह दृष्टिगत होता है कि 2013-14 और 2014-15 की अवधि से संबंधित मूल कर-निर्धारण आदेश क्रमशः 04.01.2017 और 10.01.2017 को कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए थे। मूल कर-निर्धारण आदेशों के परीक्षण, जिसे प्रतिवादी-करदाता के अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है, से यह दृष्टिगत होता है कि मूल अधिनिर्णायक प्राधिकरण अर्थात् रिट याचिकाकर्ता- डी.सी.सी.टी के हित-पूर्वाधिकारी ने कर-निर्धारण आदेश पारित करते समय कार्य अनुबंध के निष्पादन से संबंधित व्यय सहित लेख बही, संबंधित खाता, शेयर खाता आदि की विस्तारपूर्वक जांच की है। कर-निर्धारण आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि मूल कर-निर्धारण आदेश कार्य अनुबंध से संबंधित प्रत्येक व्यय की जांच करके पारित किए गए हैं, जैसे श्रम, सेवाएं और अन्य ऐसे समान शुल्क जो, गैरन और डॉकरले एंड कंपनी बनाम राजस्थान राज्य, [(1993) 1 एससीसी 364 में संप्रकाशित] के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार, माल में संपत्ति-अंतरण के कर-योग्य मूल्य के निर्धारण हेतु सकल आवर्तन से कटौती के लिए वैधानिक रूप से योग्य हैं।

40.पारित किए गए कर-निर्धारण आदेश भी जे.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 9(4)(सी) सपठित जे.वी.ए.टी. नियमों के नियम 22(1)(डी) के अनुसार थे; और, पूर्वोक्त कर-निर्धारण आदेशों के अनुसार, प्रतिवादी-करदाता को कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए 1,41,73,237/- रुपये और कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए 6,71,54,829/- रुपये की धनराशि का प्रतिदाय प्रोद्भूत हुआ है। इसके पश्चात, करदाता ने अतिरिक्त डिमांड नोटिस जारी किए जाने के बाद, प्रतिदाय के लिए आवेदन किया, जिसे जे.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 52(1), सपठित जे.वी.ए.टी.

नियमों के नियम 19(1)(डी) तथा 19(2), के अनुसार संसाधित किया जाना आवश्यक था , जिसे, सुलभ संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

"52. वापसी.--(1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विहित प्राधिकारी किसी व्यापारी को कर, शास्ति और ब्याज की वह राशि, यदि कोई हो, जो ऐसे व्यापारी द्वारा उससे देय राशि से अधिक भुगतान की गई हो, वापस करेगा।"

जे.वी.ए.टी. नियमों का नियम 19(1)(डी):

"19. धन वापसी और अनंतिम धन वापसी.--(1) धारा 52 और 53 के प्रयोजनों के लिए , निम्नलिखित विहित प्राधिकारी होंगे:--

(क) xxx xxx xxx

(घ) संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (प्रशासन), यदि वापस की जाने वाली राशि 1,00,000/- रुपये से अधिक हो।

(2) (क) अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत रिफंड का दावा वैट डीलर द्वारा फॉर्म जे.वी.ए.टी. 206 में, अतिरिक्त मांग नोटिस की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर किया जाएगा।

परन्तु संबंधित प्रभाग के संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (प्रशासन), आवेदन पर, रिफंड का दावा दाखिल करने में देरी को माफ कर सकते हैं।"

41. इसके अतिरिक्त, नियम 19(6) में यह विहित किया गया है कि प्रतिदाय, आवेदन दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर दिया जाएगा। परन्तु वर्तमान मामले में, करदाता द्वारा प्रतिदाय-आवेदन की तारीख से 12 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद, हालांकि रिट याचिकाकर्ता- डी.सी.सी.टी द्वारा करदाता को वैधानिक रूप से देय प्रतिदाय देने के लिए अनुकूल सिफारिशें की गई थीं, विहित प्रतिदाय प्राधिकरण अर्थात् जेसीसीटी (प्रशासन) (प्रतिवादी संख्या 4) ने बिना कोई कारण बताए, अपने

पत्र संख्या 944, दिनांक 12.12.2018 के माध्यम से, जेवीएटी अधिनियम की धारा 81, सपठित जेवीएटी नियमों के नियम 54(3), के अंतर्गत कर-निर्धारण आदेशों का पुनर्विलोकन करने का निर्देश दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, केवल यह अंकित किया गया कि मूल कर-निर्धारण आदेशों के समय गैर-कर योग्य खरीद/व्यय से संबंधित कुछ मुद्दों पर विचार नहीं किया गया था।

42. इस स्तर पर जे.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 81 और जे.वी.ए.टी. नियमों के नियम 54 के प्रावधानों को उद्धृत करना लाभदायक होगा, जो निम्नानुसार हैं:-

"81. पुनर्विलोकन.-- इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए जा सकने वाले नियमों के अधीन रहते हुए, धारा 4 के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी या न्यायाधिकरण अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा, यदि ऐसा पुनर्विलोकन, यथास्थिति, उक्त प्राधिकारी या न्यायाधिकरण की राय में, अभिलेख पर स्पष्ट किसी भूल के कारण आवश्यक है;

परन्तु ऐसा कोई पुनर्विलोकन, यदि उसका प्रभाव कर या जुर्माना या दोनों को बढ़ाने या प्रतिदाय को कम करने का हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त प्राधिकारी या न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, ने व्यापारी या संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया हो।"

नियम-54:-

"54. पुनर्विलोकन.--(1) जब धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त कोई प्राधिकारी, धारा 81 के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन करता है, तो वह ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(2) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, आयुक्त के अतिरिक्त, धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त कोई प्राधिकारी किसी ऐसे आदेश का, उस आदेश के पारित होने की तारीख से बारह मास की समाप्ति के पूर्व ही पुनर्विलोकन करेगा, जिसका पुनर्विलोकन किया जाना चाहा गया है।

(3) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय, आयुक्त के अतिरिक्त, धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त कोई प्राधिकारी किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन नहीं करेगा जो उसके किसी पूर्ववर्ती अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।

(4) परन्तु ऐसा कोई पुनरीक्षण, यदि उसका प्रभाव कर या जुर्माना या दोनों को बढ़ाने या प्रतिदाय को कम करने का हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विहित प्राधिकारी सुनवाई का उचित अवसर न दे और इस प्रयोजन के लिए जे.वी.ए.टी. 302 में नोटिस जारी किया जाएगा।

43. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान और संबंधित नियमों का अवलोकन मात्र ही यह स्पष्ट कर देगा कि जे.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त कोई प्राधिकारी अपने आदेश की समीक्षा कर सकता है, यदि उक्त प्राधिकारी की राय में, मामले के अभिलेखों पर स्पष्ट किसी त्रुटि के कारण आदेश की समीक्षा करना आवश्यक है। नियम 54(2) और 54(3) में विशेष रूप से प्रावधान है कि एक वर्ष की अवधि से परे समीक्षा प्रारंभ करने की कार्यवाही या किसी ऐसे अधिकारी जो मूल आदेश पारित करने वाले अधिकारी का हित-उत्तराधिकारी हो, द्वारा आयुक्त या उसके द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से आरंभ नहीं की जाएगी।

44. जे.सी.सी.टी (प्रशासन) द्वारा दिनांक 12.12.2018 को जारी पत्र संख्या 944 के निर्देश के बाद, डी.सी.सी.टी ने जेवीएटी अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत 2013-14 और

2014-15 की अवधि के लिए कर-निर्धारण आदेशों की पुनर्विलोकन के लिए वाणिज्यिक कर आयुक्त से अनुमति मांगते हुए आवेदन दायर किया। वाणिज्यिक कर आयुक्त ने पत्र संख्या 66 दिनांक 07.01.2019 (अनुलग्नक आर-5) में निहित अपने सामान्य आदेश के माध्यम से समीक्षा कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी और आगे निर्देश दिया कि कर-निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात एक महीने के भीतर समीक्षा कार्यवाही पूरी की जाए।

45. इसके अनुसरण में रिट याचिकाकर्ता- डी.सी.सी.टी द्वारा दिनांक 08.01.2019 के नोटिस के माध्यम से उपरोक्त दोनों वर्षों के लिए समीक्षा कार्यवाही शुरू की गई थी और उक्त नोटिस में प्रतिवादी-करदाता को यह स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया गया था कि जेवीएटी अधिनियम की धारा 9(4)(सी) के संदर्भ में गैर-कर योग्य शुल्क/व्यय के प्रति कुछ कटौतियों को करदाता के कर-योग्य कारोबार में वापस क्यों न जोड़ा जाए।

46. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त समीक्षा कार्यवाही में कर-निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ तथा कार्य अनुबंध के कर-योग्य मूल्य के निर्धारण के लिए गैर-कर योग्य शुल्कों/व्यय की कटौती से संबंधित सभी मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए विस्तृत उत्तर दाखिल किया तथा समीक्षा कार्यवाही को समाप्त करने की प्रार्थना की।

47. कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दिनांक 13.03.2019 के आदेश के अनुसार समीक्षा कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी, लेकिन, दिलचस्प बात यह है कि कर-निर्धारण प्राधिकारी ने वाणिज्यिक कर के अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष एक पत्र दायर किया, जिसमें उक्त प्राधिकारी से वर्ष 2013-14 और 2014-15 के मूल कर-निर्धारण आदेशों के विरुद्ध स्वप्रेरणा पुनरीक्षण कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। ज्ञापन और/या पत्र की प्रति जिसके द्वारा स्वप्रेरणा पुनरीक्षण कार्यवाही प्रारंभ करने

का अनुरोध किया गया था, रिट याचिकाकर्ता द्वारा संलग्न नहीं की गई है, परन्तु यह उसके अनुसरण में है कि वाणिज्यिक कर के अतिरिक्त आयुक्त ने जे.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 80(4) के अंतर्गत स्वप्रेरणा पुनरीक्षण कार्यवाही प्रारंभ की है।

48. त्वरित संदर्भ हेतु जे.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 80(4) नीचे उद्धृत है:-

"80. पुनरीक्षण (1) xxx xxx xxx

(4) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त स्वप्रेरणा से या आवेदन पर किसी कार्यवाही के अभिलेखों को मंगवा सकेगा और उनकी जांच कर सकेगा, जिसमें धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो, आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, अभिलेख का परीक्षण करने तथा ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात, जैसी वह आवश्यक समझे, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

परन्तु आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा पारित दोनों के शास्ति के निर्धारण के किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर, ऐसे व्यापारी/व्यक्ति को दोनों के लिए लगाए गए शास्ति के निर्धारित कर के 10% से अनधिक राशि जमा करने का निर्देश दे सकेगा।"

49. जे.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 80(4) के अवलोकन से पता चलता है कि आयुक्त स्वप्रेरणा से या किसी आवेदन पर किसी भी कार्यवाही के अभिलेख को मांग सकता है और उसकी जांच कर सकता है, ताकि वह स्वयं को किसी आदेश की वैधता और औचित्य के बारे में संतुष्ट कर सके।

50. इस प्रकार, जे.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 80(4) आयुक्त को स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड को मांगने और जांचने के लिए अधिकृत करती है और इस प्रकार, हमारी राय में, भले ही डीसीसीटी द्वारा स्वप्रेरणा पुनरीक्षण

कार्यवाही शुरू करने के लिए एक पत्र दायर किया गया हो, आयुक्त, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, उक्त पत्र को स्वप्रेरणा पुनरीक्षण कार्यवाही मान सकते थे और किसी भी आदेश की वैधता और औचित्य की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते थे, जो उनकी राय में, राजस्व के हित के लिए हानिकारक था।

51. परन्तु, वर्तमान रिट आवेदनों में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आयुक्त और/या अपर आयुक्त उन्हीं आधारों पर स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण कार्यवाही प्रारंभ कर सकते थे, जिन पर पूर्व में उक्त प्राधिकारी ने स्वयं ही अधिनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुनर्विलोकन कार्यवाही आरंभ करने की मंजूरी दी थी।

जैसा कि पहले ही उपरोक्त उल्लिखित किया जा चुका है, वाणिज्यिक कर आयुक्त ने 07.01.2019 के आदेश के माध्यम से अधिनिर्णायक प्राधिकरण को मूल कर-निर्धारण आदेशों के विरुद्ध पुनर्विलोकन कार्यवाही प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की। अधिनिर्णायक प्राधिकरण ने मूल कर-निर्धारण आदेशों के विरुद्ध पुनर्विलोकन कार्यवाही प्रारंभ की तथा पुनर्विलोकन कार्यवाही प्रारंभ करने के पश्चात विस्तृत दस्तावेजों आदि की जांच करने पर स्वयं ही यह माना कि मामला पुनर्विलोकन-योग्य नहीं है, क्योंकि मामले के अभिलेखों से कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं होती।

इस प्रकार, उक्त परिस्थितियों में, यह प्रश्न उठता है कि क्या उक्त प्राधिकारी, जिसने स्वयं उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनर्विलोकन कार्यवाही को छोड़ दिया था, उन्हीं तथ्यों के आधार पर स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण कार्यवाही आरंभ करने के लिए वाणिज्यिक कर आयुक्त के समक्ष प्रस्ताव कर सकता था। हमारी राय में, उन्हीं तथ्यों के आधार पर, जिनके संबंध में वाणिज्यिक कर आयुक्त ने स्वयं पुनर्विलोकन कार्यवाही प्रारंभ करने की स्वीकृति दी थी, स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए वाणिज्यिक कर आयुक्त के समक्ष प्रस्ताव करना उचित कार्यवाही नहीं है।

52. जे.वी.ए.टी. अधिनियम की योजना के अंतर्गत, वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील और संशोधन का वैधानिक प्रावधान है और, यदि विभाग मूल न्यायनिर्णयन आदेश और/या जिस आदेश द्वारा पुनर्विलोकन कार्यवाही समाप्त की गई थी, उससे संतुष्ट नहीं था, तो आयुक्त सहित विभाग के लिए यह विकल्प खुला था कि वह जे.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 79 और 80(1) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष वैधानिक अपील और/या वैधानिक संशोधन को प्राथमिकता देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दे। हालांकि, हमारी राय में, राजस्व, विशेष रूप से, अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर के लिए यह विकल्प नहीं खुला था कि वह स्वप्रेरणा से पुरीक्षण कार्यवाही शुरू करे, वह भी, रिट याचिकाकर्ता-डी.सी.सी.टी. द्वारा केवल एक पत्र दाखिल करने पर।

53. इसके अतिरिक्त, जे.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 80(4) के अवलोकन मात्र से दृष्टिगत होता है कि आयुक्त स्वप्रेरणा से "किसी कार्यवाही के अभिलेखों को मंगवा सकता है तथा उनकी जांच कर सकता है, जिसमें कोई आदेश पारित किया गया हो।" वर्तमान मामले में, अपर आयुक्त की कार्यवाही के अभिलेखों से यह पता चलता है कि यद्यपि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अंकित किया है कि उसने कर-निर्धारण कार्यवाही के अभिलेखों का अवलोकन किया है, लेकिन अभिलेखों में इस आशय का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

54. इसके अलावा, वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में, पैरा-26, 27, 28 और 31 के माध्यम से, विशेष रूप से माना कि अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, झारखंड, रांची ने अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख करके गंभीर त्रुटि की कि उन्होंने कर-कार्यवाही के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है, जो उसके समक्ष रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थे। त्वरित संदर्भ के लिए, न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए गए हैं: -

"26. पुनरीक्षण वाद संख्या आरएन 31/2019 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पैरा 42 में इस बात पर बल दिया गया है कि विद्वान अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, झारखंड ने निचली अदालत के अभिलेखों को तलब किए बिना ही पुनरीक्षण आदेश पारित कर दिया है और पुनरीक्षण आवेदन की सुनवाई के समय निचली अदालत के अभिलेखों की प्रतियां पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गईं। यहां तक कि कर-निर्धारण आदेश की प्रति भी पुनरीक्षण आवेदन के साथ संलग्न नहीं की गई और उक्त कर-निर्धारण आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा केवल झारखंड के वाणिज्यिक कर के अपर आयुक्त के समक्ष जवाब दाखिल करने के चरण पर रिकॉर्ड पर लाया गया।

27. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने पैरा 42 में यह भी दावा किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 का एक मुख्य तर्क यह था कि याचिकाकर्ता के कर योग्य कारोबार से कटौती के लिए कुछ दावों को, कर-निर्धारण आदेश में उस संबंध में रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त दस्तावेज न होने के बावजूद, अनुमति प्रदान के गई थी। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उठाए गए उक्त तर्क को दृष्टिगत रखते हुए झारखंड के वाणिज्यिक कर के विद्वान अतिरिक्त आयुक्त के लिए निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब करना और साथ ही उक्त तथ्यों को और सत्यापित करने तथा याचिकाकर्ता को उस संबंध में अवसर देना अत्यंत आवश्यक था। परन्तु, याचिकाकर्ता को उस संबंध में कोई भी अवसर नहीं दिया गया और न ही निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब किया गया और केवल अंदाजे और अनुमान के आधार पर तथा कर-निर्धारण प्राधिकारी के पूछने पर, मूल कर-निर्धारण आदेश को रद्द कर दिया गया।

28. हालाँकि, राज्य की ओर से पुनरीक्षण के पैरा 42 और 43 में याचिकाकर्ता के दावे का खंडन करने के लिए न तो कोई जवाबी हलफनामा दायर किया गया और न ही याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए बिंदु के संबंध में राज्य की ओर से कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

31. अतः यह स्पष्ट है कि विद्वान अपर वाणिज्यिक कर आयुक्त, झारखंड, रांची ने समीक्षा याचिका के अभिलेख का अवलोकन करने का उल्लेख करके गंभीर त्रुटि की है, जो उनके समक्ष अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।"

55. इस स्तर पर, यह इंगित करना उचित है कि वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा जेवीएटी अधिनियम की धारा 80(4) के अंतर्गत अधिकार-क्षेत्र ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य किसी भी आदेश से संबंधित कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग करने और उसके पश्चात स्वयं को उस आदेश के संबंध संतुष्ट करने में उक्त प्राधिकारी द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

इस मामले में, उपरोक्त क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य स्वयं अनुपस्थित है और अतिरिक्त आयुक्त ने, केवल डीसीसीटी द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर, मामले के रिकॉर्ड मंगवाए बिना और यहां तक कि संबंधित आदेशों की जांच किए बिना ही स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू कर दी। इस प्रकार, हम संतुष्ट हैं कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निष्कर्ष कि आयुक्त ने जेवीएटी अधिनियम की धारा 80(4) के तहत प्रदत्त शक्ति से परे काम किया है, कानून के अनुसार है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

56. यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण के समक्ष इस तर्क का खंडन करने के लिए कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया कि अतिरिक्त आयुक्त ने स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण आदेश पारित करते समय मूल मूल्यांकन कार्यवाही के रिकॉर्ड नहीं मांगे हैं।

57.उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त, यह पता चलता है कि अतिरिक्त आयुक्त ने न केवल जे.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 80(4) के प्रावधानों की घोर अवहेलना की है, बल्कि संशोधन आवेदनों का निस्तारण करने में भी बहुत जल्दबाजी की है। स्वप्रेरणा से संशोधन कार्यवाही शुरू करने से संबंधित प्रासंगिक तिथियों का उल्लेख हम इस निर्णय के पिछले पैराग्राफ में पहले ही कर चुके हैं, लेकिन, सुलभ संदर्भ के लिए, उन्हें फिर से उद्धृत किया गया है:-

18.03.2019: डीसीसीटी, पश्चिमी सर्किल, रांची द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए एकल पुनरीक्षण आवेदन, सी.सी.(एस) 301/2019, दायर किया गया।

19.03.2019: एकल नोटिस संख्या 1126, दिनांक 19.03.2019, को ए.सी.सी.टी द्वारा जारी किया गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को पुनरीक्षण आवेदन की प्रति प्रस्तुत किए बिना ही पुनरीक्षण आवेदन की सुनवाई की तारीख 25.03.2019 तय की गई।

25.03.2019: प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित हुआ और उसने आवेदन दायर कर पुनरीक्षण आवेदन की प्रति तथा उन दस्तावेजों की मांग की जिनके आधार पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा अपना जवाब दाखिल करने के लिए 30 दिनों का समय मांगा।

25.03.2019: प्रतिवादी संख्या- 1 ने पुनरीक्षण आवेदन की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए अंतरिम आवेदन दायर किया।

पुनरीक्षण आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए 30 दिन का समय मांगे जाने के बावजूद केवल 6 दिन का समय दिया गया तथा अगली तिथि

01.04.2019 नियत की गई।

01.04.2019: 01.04.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया तथा मामले में विस्तृत बहस के लिए समय मांगा। हालाँकि, उक्त तिथि को ही बहस समाप्त हो गई तथा निर्णय सुरक्षित रख लिया गया।

58. उपरोक्त तिथियों से ही यह स्पष्ट है कि वाणिज्यिक कर के अपर आयुक्त ने पुनरीक्षण आवेदनों के निस्तारण में अनुचित जल्दबाजी की है। यह सामान्य कानून है कि यदि कोई अधिकारी अनुचित जल्दबाजी में कार्य करता है, तो कानून में दुर्भावना की उपधारणा की जाती है और उसकी कार्यवाही को दुर्भावनापूर्ण माना जाता है।

59. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, हमारा दृढ़ मत है कि अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा दिनांक 25.04.2019 को पारित आदेश विभिन्न अवैधताओं और दुर्बलताओं से ग्रस्त हैं और इन्हें वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, रांची द्वारा दिनांक 28.02.2020 के आदेश द्वारा यथोचित रूप से अपास्त कर दिया गया है।

60. उपर्युक्त विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, हम उपर्युक्त रिट आवेदनों में कोई सार नहीं पाते हैं और तदनुसार रिट आवेदन निरस्त किए जाते हैं। लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाता है। व्यय-संबंधी कोई आदेश नहीं होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगोन मुखोपाध्याय)

(माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन)

झारखंड उच्च न्यायालय

दिनांकित 15 /01 /2024

अमरदीप/ ए.एफ.आर

यह अनुवाद पि॒यूष आनंद, पै॒नल अनुवादक द्वारा किया गया है।